संख्या-41/2020/1997/86-2020-57(सा0)/2017

प्रेषक,

डा0 रोशन जैकब,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊः दिनांक 06 नवम्बर, 2020

विषयः-उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) (बावनवां संशोधन) नियमावली, 2020 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वर्तमान में खनन नीति-2017 और उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली-1963 के प्राविधान के अनुसार नदी तल में उपलब्ध उपखनिजों यथा बालू या मौरम या बजरी या बोल्डर या इनमें से कोई भी जो मिली-जुली अवस्था में हों, को ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रणाली के माध्यम से दीर्घकालीन व्यवस्था के अन्तर्गत परिहार पर व्यवस्थित करने की कार्यवाही की जा रही है।

2. उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) यथा संशोधित (47वां संशोधन) नियमावली-2019 के नियम-23 में उपखनिजों के खनन क्षेत्रों को ई-निविदा/ ई-नीलामी/ई-निविदा सह ई-नीलामी द्वारा पट्टा पर दिये जाने हेतु क्षेत्र की घोषणा आदि सम्बन्धी प्राविधान किया गया है। नियमावली का नियम-23(1) एवं 23(4) निम्नवत् हैः-

**नियम-23(1)**-''राज्य सरकार सामान्य अथवा विशिष्ट आदेश द्वारा जियो कोआर्डिनेट्स के साथ ऐसे किसी क्षेत्र अथवा क्षेत्रों को, जिसे या जिन्हें ई-निविदा/ई-नीलामी/ई-निविदा सह ई-नीलामी द्वारा पट्टे पर दिया जा सकता है, की घोषणा कर सकती है।''

**नियम- 23(4)**-''जिलाधिकारी, उपनियम(1) के अधीन घोषित क्षेत्र या क्षेत्रो को निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म उत्तर प्रदेश या उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा ई-निविदा/ई-नीलामी/ई-निविदा सह ई-नीलामी के लिये निर्धारित दिनांक के पूर्व न्यूनतम बोली या प्रस्ताव के निर्धारण के लिये खनिज की गुणवत्ता और मात्रा का मूल्यांकन करायेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि जिलाधिकारी वर्ष में एक बार शासन द्वारा गठित प्राविधिक समिति के माध्यम से मानसून सत्र समाप्ति पर नदी तल में उपलब्ध उपखनिज की मात्रा का निर्धारण आवश्यकतानुसार करायेगा। पक्षकारों के मध्य असहमति की दशा में निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म मामले का विनिश्चय करेगा और ऐसा विनिश्चय अन्तिम होगा।''

3. अवगत कराना है कि स्वीकृत क्षेत्र पर उक्त नियमावली के नियम-27(3) के अन्तर्गत बोलीदाता द्वारा देय धनराशि जमा कर नियम-29 के प्राविधानों के अन्तर्गत निर्धारित प्रारूप पर पट्टा विलेख का निष्पादन व रजिस्ट्रीकरण किये जाने के उपरान्त खनन संक्रिया प्रारम्भ की जाती है। उक्त नियम-23(4) के प्राविधान के परन्तुक के आधार पर पट्टाधारकों द्वारा खनन पट्टा निष्पादन के उपरान्त येन-केन प्रकारेण मात्रा के पुर्नमूल्यांकन की मांग कर निर्धारित मात्रा को कम किये जाने का प्रयास किया जाता है। इससे खनन संक्रिया प्रभावित होती है, राज्य सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है साथ ही खनन पट्टे के अनुबन्ध की शर्तें प्रभावित होती है, जिससे अनुबन्ध में संशोधन/परिवर्तन की स्थिति उत्पन्न होती है।

4. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त वर्णित स्थिति के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) (बावनवां संशोधन) नियमावली, 2020 अधिसूचना संख्या-1824/86-2020-57(सा0)/2017 दिनांक 02.11.2020 को प्रख्यापित करते हुये उक्त नियमावली के नियम-23(4) के प्रतिबंधात्मक प्राविधान को उसके प्रभावी होने की तिथि 13.08.2019 से विलोपित किये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः-यथोपरि।

भवदीया,
(डा0 रोशन जैकब)
सचिव।

संख्याः 1997(1)/86-2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, खनिज भवन, लखनऊ।
3. समस्त जनपदीय ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(हृदय नारायण सिंह यादव)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

# उत्तर प्रदेश शासन
## भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग

संख्याः 1824 / 86–2020–57(सा0) / 2017

लखनऊः दिनांक 02 नवम्बर, 2020

## अधिसूचना

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (अधिनियम संख्या 67 सन् 1957) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं:–

उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) ( बावनवां संशोधन) नियमावली, 2020

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1 (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) (बावनवां संशोधन) नियमावली, 2020 कहीं जायेगी।

(2) यह दिनांक 13 अगस्त, 2019 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

नियम 23 का संशोधन

2. उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली–1963, में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये नियम–23 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

| स्तम्भ–1<br>विद्यमान नियम | | स्तम्भ–2<br>एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम | |
|---|---|---|---|
| 23 | ई–निविदा / ई–नीलामी / ई–निविदा–सह–ई–नीलामी पट्टा हेतु क्षेत्र की घोषणा–<br>(1) राज्य सरकार सामान्य अथवा विशिष्ट आदेश द्वारा जियो कोआर्डिनेट्स के साथ ऐसे किसी क्षेत्र अथवा क्षेत्रों को, जिसे या जिन्हें ई–निविदा / ई–नीलामी / ई–निविदा सह ई–नीलामी द्वारा पट्टे पर दिया जा सकता है, की घोषणा कर सकती है–<br>(2) राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस निमित्त जारी किये गये निर्देशों के अधीन रहते हुये–<br>(क) बालू या मौरम या बजरी या बोल्डर या इनमे से कोई भी जो मिली जुली अवस्था में हो और जो नदी तल में अनन्य रूप से पायी जाती हो, के संदर्भ में खनन पट्टों के लिये क्षेत्र या क्षेत्रों के पट्टे, एक बार में नियत पांच वर्ष की अवधि के लिये केवल ई–निविदा या ई–नीलामी या ई निविदा सह ई नीलामी के माध्यम से स्वीकृत किये जायेंगे :<br>प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी कारण से दीर्घकाल के लिए नदी तल के खनन क्षेत्रों का व्यवस्थापन किया जाना सम्भव न हो तो उक्त क्षेत्रों का व्यवस्थापन अल्पकालीन खनन अनुज्ञा पत्र के माध्यम से किया जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित निबन्धन और शर्तो के अधीन | 23 | ई–निविदा / ई–नीलामी / ई–निविदा–सह–ई–नीलामी पट्टा हेतु क्षेत्र की घोषणा –<br>(1) राज्य सरकार सामान्य अथवा विशिष्ट आदेश द्वारा जियो कोआर्डिनेट्स के साथ ऐसे किसी क्षेत्र अथवा क्षेत्रों को, जिसे या जिन्हें ई–निविदा / ई–नीलामी / ई–निविदा सह ई–नीलामी द्वारा पट्टे पर दिया जा सकता है, की घोषणा कर सकती है –<br>(2) राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस निमित्त जारी किये गये निर्देशों के अधीन रहते हुये–<br>(क) बालू या मौरम या बजरी या बोल्डर या इनमे से कोई भी जो मिली जुली अवस्था में हो और जो नदी तल में अनन्य रूप से पायी जाती हो, के संदर्भ में खनन पट्टों के लिये क्षेत्र या क्षेत्रों के पट्टे, एक बार में नियत पांच वर्ष की अवधि के लिये केवल ई–निविदा या ई–नीलामी या ई निविदा सह ई नीलामी के माध्यम से स्वीकृत किये जायेंगे :<br>प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी कारण से दीर्घकाल के लिए नदी तल के खनन क्षेत्रों का व्यवस्थापन किया जाना सम्भव न हो तो उक्त क्षेत्रों का व्यवस्थापन अल्पकालीन खनन अनुज्ञा पत्र के माध्यम से किया जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित निबन्धन और शर्तो के अधीन अल्पकालीन |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | लागू नहीं होंगे जिसके या जिनके संबंध में घोषणा जारी कर दी गयी है। ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों को इस अध्याय में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार पट्टे पर दिया जा सकता है।<br>(4) जिलाधिकारी, उपनियम(1) के अधीन घोषित क्षेत्र या क्षेत्रो को निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म उत्तर प्रदेश या उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा ई–निविदा /ई–नीलामी/ई–निविदा सह ई–नीलामी के लिये निर्धारित दिनांक के पूर्व न्यूनतम बोली या प्रस्ताव के निर्धारण के लिये खनिज की गुणवत्ता और मात्रा का मूल्यांकन करायेगा।<br>*प्रतिबन्ध यह है कि जिलाधिकारी वर्ष में एक बार शासन द्वारा गठित प्राविधिक समिति के माध्यम से मानसून सत्र समाप्ति पर नदी तल में उपलब्ध उपखनिज की मात्रा का निर्धारण आवश्यकतानुसार करायेगा। पक्षकारों के मध्य असहमति की दशा में निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म मामले का विनिश्चय करेगा और ऐसा विनिश्चय अन्तिम होगा।* | | होंगे जिसके या जिनके संबंध में घोषणा जारी कर दी गयी है। ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों को इस अध्याय में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार पट्टे पर दिया जा सकता है।<br>(4) जिलाधिकारी, उपनियम(1) के अधीन घोषित क्षेत्र या क्षेत्रो को निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म उत्तर प्रदेश या उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा ई–निविदा /ई–नीलामी/ई–निविदा सह ई–नीलामी के लिये निर्धारित दिनांक के पूर्व न्यूनतम बोली या प्रस्ताव के निर्धारण के लिये खनिज की गुणवत्ता और मात्रा का मूल्यांकन करायेगा। |

आज्ञा से,

(डा0 रोशन जैकब)
सचिव।

टिप्पणी

(1) उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली, 1963 अधिसूचना संख्या 1575–एम–18–बी0एम0–97–58 दिनांक 26 अगस्त 1963 के साथ जारी की गई और उत्तर प्रदेश गजट दिनांक 14 सितम्बर 1963 में प्रकाशित की गई ।

(2) प्रथम संशोधन अधिसूचना संख्या 331–एम/18–एफ0एम0–331–66 दिनांक 16 नवम्बर 1968 के साथ जारी किया गया था ।

(3) द्वितीय संशोधन अधिसूचना संख्या 1181–एम/18–एफ0एम0–21–1967 दिनांक 23 सितम्बर 1969 के साथ जारी किया गया था ।

(4) तृतीय संशोधन अधिसूचना संख्या 3388–आई0एम0/18–एफ0–15एम0एम0–68 दिनांक 31 अगस्त 1970 के साथ जारी किया गया था ।

(5) चतुर्थ संशोधन अधिसूचना संख्या 2746–एम/18–12(3)(14)–72 दिनांक 28 दिसम्बर 1972 के साथ जारी किया गया और 31 दिसम्बर 1972 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था ।

(6) पंचम संशोधन अधिसूचना संख्या 4669/18–12–57/75 दिनांक 14 सितम्बर 1976 के साथ जारी किया गया और 15 सितम्बर 1976 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(7) षष्ठम संशोधन अधिसूचना संख्या 1518/18–12–200–77 दिनांक 25 अप्रैल 1978 के साथ जारी किया गया और 1 मई 1978 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था ।

(8) सप्तम संशोधन अधिसूचना संख्या 3157/18–12–57–75सी0ए0–67–1957रूल्स–1963एम0 एम0(7)–1978 दिनांक 27 जुलाई 1978 के साथ जारी किया गया और 1 अगस्त 1978 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था ।

(9) अष्टम संशोधन अधिसूचना संख्या 3186/18–12–सी0ए0–67–1957रूल्स–1963 ए0एम0–6–77–195–77 दिनांक 9 जनवरी 1979 के साथ जारी किया गया और 30 जनवरी 1979 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था ।